

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 95 / 2014
संस्थान दिनांक 19.02.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

शोभाराम पिता सिकदार, आयु 55 वर्ष
निवासी-ग्राम जुनापानी, थाना अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.06.2015 को घोषित)

1. आरक्षी केन्द्र अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 37 / 2014 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 19.02.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 09.02.2014 को समय 12:15 बजे, अभियुक्त के मकान के पास ग्राम जुनापानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 08 लीटर भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 09.02.2014 को सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. मण्डलोई को देहात भ्रमण के दौरान ग्राम जुनापानी पहुँचा तो पुलिस को देखकर अभियुक्त शोभाराम अपने मकान के पास से एक भरी केन लेकर भागने लगा में तब हमराह सैनिक कालु की मदद से अभियुक्त को पकड़ा और शंका होने पर केन को खोलकर चेक किया तो हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 8 लीटर भरी होना पाई थी। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से मदिरा रखने संबंधी अनुज्ञा पत्र पूछने पर नहीं होना बताया। सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. मण्डलोई ने अभियुक्त

शोभाराम से लगभग 8 लीटर मदिरा भरी प्लास्टिक की केन जप्त कर प्रदर्शपी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया। साक्षियों के समक्ष अभियुक्त शोभाराम को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। तथा तत्पश्चात् सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई द्वारा अभियुक्त एवं मदिरा को लेकर थाने आया तथा थाने का अपराध क्रमांक 37/2014 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 3 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 09.02.2014 को समय 12:15 बजे, अभियुक्त के मकान के पास ग्राम जुनापानी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक केन में हाथ भट्टी की कच्ची मदिरा लगभग 08 लीटर भरी रखे हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई (अ.सा.2), नगर सैनिक कालुसिंह (अ.सा.3) एवं देवेन्द्र (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार **विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई अ.सा. 2 ने बताया कि

10. ऐसी स्थिति में जबकि सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई अ.सा. 4 द्वारा जप्त की गई मदिरा की नाप नहीं की गई। यहाँ तक कि नफीस एहमद खान अ.सा. 2 ने भी उक्त मदिरा की नाप करने से इंकार किया है। यहाँ तक कि जिस पत्र के माध्यम से नफीस एहमद खान ने मदिरा जॉच की थी वह भी अभियोजन की ओर से पेश नहीं किये गये हैं। जप्ती पंचनामे के दौनों साक्षियों ने अभियुक्त के पास से प्रदर्शपी 1 के अनुसार मदिरा जप्त होने से स्पष्ट किया है तो स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है तो अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा अभियुक्त को इस अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त शोभाराम के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त शोभाराम को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की केन में 08 कच्ची हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी